

न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला जोधपुर
बड़जलारा पीठारीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादीगण
सायबदीन पुत्र लालदीन
मुख्यारखां पुत्र लालदीन
जाति मुसलमान निवासी भड़ला
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाग

प्रतिवादी

1. तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अंतर्गत घारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित घारा 151 सी.पी.सी.

दया नम्बर :- 116/2018
स्थित अधिवक्ता :-

1. श्री ओमप्रकाश गोदारा वादीगण एवं अप्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रार्थी एवं प्रतिवादी

दिनांक :- 15.01.2020

निर्णय

वादीगण के वाद का सार संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि वादीगण की खातेदारी की तारा नंबर 124 रकबा 3157.02 बीघा में से 50 बीघा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार भूमि सरहद का नुरे की भुर्ज पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट र सेटलमेंट से पहले से ही वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त था। सेटलमेंट के समय वादीगण के पूर्वज मजदूरी करने हेतु बाहर गांव चले गये थे इसलिए खसरा नंबर 124 रकबा 57.02 बीघा में से 50 बीघा भूमि उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं कर राजकीय भूमि दर्ज र दी गई। उक्त भूमि पर वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त पीढ़ियों से चला आ रहा था जो अपने अपने जीवन काल में ही उक्त भूमि पर रहवासीय ढाणी, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े आदि बनाये थे। उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक चला आ रहा है वादीगण ने उक्त भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार चारों ओर खुंटे रोप कर सरहदी की हुई है। वादीगण उक्त भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपनी खातेदारी की पक्का करवाने का अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।


वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने उक्त वाद में प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 1 सहपठित घारा 151 सी.पी.सी का पेश किया जो शामिल किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में बताया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने का प्रस्तुत किया है। जिसमें वादीगण को हर वर्ष समय-समय पर सरकारी भूमि से वेदखल किया है तथा वादीगण का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षों तक कब्जा काश्त नहीं रहने से विवादित भूमि पर वादीगण खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का वादीगण को वाद करण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से पूर्व वादीगण द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया है जिसके अभाव में वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद सिद्ध नहीं होने से तथा वाद कारण पैदा नहीं होने के अभाव में तथा 80 सी.पी.सी. के नोटिस

अभाव में वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश न कर सीधे बहस की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. अन्वयेन किया गया। वाद मनन अवलोकन व चिन्तन के पाया गया कि वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर उसके आधार पर घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी तहसीलदार वाप ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि अप्रार्थी (वादीगण) की भूमि है तथा वादीगण अतिक्रमण के आधार पर सरकारी भूमि को हड़पना चाहता है जो कि गैर कानूनी है। अप्रार्थी का वाद जरिये उक्त प्रार्थना पत्र के खारिज फरमाया जावे। प्रस्तुत वाद में अप्रार्थी का अनुतोष प्राप्ति हेतु कोई सारवान तथ्य व दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार के विनम्र मत में सरकारी भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों को घोषणा कर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में न्यायालय उच्चतर न्यायालयों द्वारा भी समय समय पर किये गये निर्णयों के अनुसार यह सिद्धान्त प्रस्थापित किया गया है कि सिर्फ एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत इस प्रकार के प्रयोग, खर्चों तथा अनेक मामलों के परिचालन से होने वाले समय के लिये तुच्छ प्रवृत्ति के वादों को प्रारम्भिक स्तर पर वाद को खारिज किया जाना उचित है। ताकि न्यायालय का महत्वपूर्ण समय भी बचाया जा सके। उक्त प्रकरण में वाद हेतुक ही प्रकट नहीं हुआ तथा वादी द्वारा धारा 80 सी.पी.सी. के अन्तर्गत के अभाव में तथा वाद के संलग्न प्रस्तुत 80 सी.पी.सी. के नोटिस की छूट का यथोचित दस्तावेजी दस्तावेज के अभाव में विनाय वाद पैदा ही नहीं हुआ हो ऐसे वाद को स्वीकार किया जा सकता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के मध्यनजर रखते हुए खारिज किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का अन्वयेन किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार क्रम नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 15.01.2020 को सुनाया गया।


(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
वाप जोधपुर

